

151
2021

प्रशासन गाँवों के सम आभियान 2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर०
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

धामलान

खाना न० 13, 75 में खातेदार कुलदीप पुत्र शर्मपाल का नाम रिकार्ड में संवेदन से दर्ज हो गया जिसका नाम कुलदीप पुत्र शर्मचन्द जाकर शुद्ध किया जाना उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

(निम्न लिखित)

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक - पटवारी

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन के वर्णानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अभिरक्षा की जाती है / नहीं की जाती है।

[Signature]
तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुन्दुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 18/10/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी सम्वत्	खाता सख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	नीम की टागी	2075-78	13	कुलदीप पु० शर्मपाल	कुलदीप पुत्र शर्मचन्द जाकर
2	-	2075-78	75	कुलदीप पु० शर्मपाल	कुलदीप पुत्र शर्मचन्द

नोट :-शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 120-21

दिनांक :- 18/10/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वारते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया

को सूचनार्थ।



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी